सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– नरेश कुमार शर्मा
आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं0 140/2017

1. घम्मन पुत्र मूलचंद
2. कुम्हेर पुत्र मूलचंद
3. मोहर सिंह पुत्र मूलचंद जाति गुर्जर निवासी ग्राम रलावता तहसील व जिला दौसा

...अपी0

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार, दौसा ...रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 10.10.2017
व न्यायालय नायब तहसीलदार, दौसा

उपस्थित : 1.श्री योगेश जाकड, अधिवक्ता अपीलांट
2.श्री चंद्र शेखर शर्मा राजकीय अधिवक्ता, पैरोकार सरकार

निर्णय **दिनांक 11.07.18**

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि नायब तहसीलदार, दौसा ने दिनाक 10.10.2017 को ग्राम रलावता के आ0ख0न0 707/2 रकबा 0.10 है0 किस्म जमीन चरागाह पर अपीलांट को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए बेदखली एवं पेनल्टी का आदेश पारित कर दिया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पो0 को तलब किया गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई । बहस उभय पक्ष सुनी गई ।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट पक्ष द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील है कि पटवारी हल्का द्वारा निहायत झूॅठी रिपोर्ट की है। अपीलांट को साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना एवं बिना मौके की जॉच किये बिना इकतरफा में निर्णय पारित किया है। अपीलांट द्वारा किसी भी चरागाह भूमि पर कोई अतिक्रमण नही किया बल्कि अपीलांट की स्वयं की चारागाह भूमि से लगती हुई खातेदारी भूमि है। जिस पर 50–60 साल से अपीलांट मकान बनाकर उसमें रहवास कर रहा है। अपीलांट द्वारा उक्त भूमि पर शौचालय, बिजली का कनेक्शन भी स्थापित कर रखा है। उक्त मकान के अलावा प्रार्थी के पास रहने को कोई अन्य रहवास नहीं है। यदि प्रार्थी को बेदखल कर दिया जाता है, तो प्रार्थी खुले आसमान के नीचे अपने परिवार सहित रहने को मजबूर होगा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि प्रक्रिया का पालना नहीं करते हुए इकतरफा पक्षपातपूर्ण आदेश पारित कर दिया गया। जो नियमों के प्रतिकूल होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरुद्ध एवं तथ्यों कि विपरीत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावें।

राजकीय अधिवक्ता की बहस में दलील है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत करने पर गिरदावर हल्का से जांच करवाई गई। गिरदावर हल्का की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। अपीलांट का यह कथन उचित नहीं है कि साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में स्पष्ट रुप से चरागाह भूमि पर पक्का निर्माण कर अतिक्रमण करना अंकित क़िया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अपीलांट स्वयं अपनी अपील में यह कहकर आया है कि वह 50–60 साल से मकान बनाकर रह रहा है। इसलिए बिना अधिकार के मकान बनाकर अतिक्रमण कर रखा है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें ।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट धारा 91 की जॉच गिरदावर हल्का से करवाई गई। गिरदावर हल्का की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों पर गौर किया गया। अपीलांट द्वारा पटवारी हल्का की झूॅठी रिपोर्ट का कथन उचित प्रतीत नहीं होता है। अपी0 को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया नोटिस बाद तामिल संलग्न पत्रावली है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में स्वयं उपस्थित हुए है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का यह कथन उचित नही है कि उनको सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर नही दिया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में " पक्का मकान " व कैफियत में पुराना अतिक्रमण होना अंकित कर अतिक्रमण करना बताया है। इससे यह स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा चरागाह भूमि पर पहले से ही अतिक्रमण कर रखा है। अपीलांट स्वयं अपनी अपील में यह कहकर आया है कि वह 50–60 साल से मकान बनाकर रह रहा है। अपीलांट बिना अधिकार के मकान बनाकर रहना ही अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। अपीलांट द्वारा अपने कथनो की पुष्टि में प्रश्नगत भूमि के संबंध में ऐसे कोई दस्तावेजी सबूत पेश नही किए जिससे उनके कथन की पुष्टि नही होती है। वर्तमान में भूमि चरागाह अंकित है। अतः पटवारी हल्का की रिपोर्ट में कोई संदेह नही हैं। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा राजकीय चरागाह भूमि पर बिना किसी अधिकार के अतिक्रमण कर रखा है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। अतिक्रमी के विरुद्व कठोर कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत होता है। अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है। अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति सहित भिजवाई जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 11 जुलाई, 2018 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा

जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official